प्र०स० – 58/2016
JCMS no. – 2016/00222

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

उम्मेदसिंह बनाम सरकार जर्ये जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी

किस्म मुकद्दमा – अपील बनाराजगी आदेश नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी निर्णय दिनांक 11.10.2011 प्रकरण सं0 430/2011

प्रकरण **संख्या** **वर्ष 2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-08-2021	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 430/2011 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 सरकार बनाम उम्मेद सिंह में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2011 के विरूद्व इस न्यायालय में पूर्व में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसका निर्णय भी इस न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिसके अपील प्रकरण संख्या 318/2011 उनवान उम्मेदसिंह बनाम राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी निर्णय दिनांक 6.3.2012 है । निर्णय दिनांक 6.3.2012 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2011 के जरिये की गई दोषसिद्वि एवं अर्थदण्ड को यथावत रखा जाकर सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा गया है कि नायब तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी ने अपना कब्जा छोड दिया हथ तथा उन्होंने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति /भूमि पर कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत नायब तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरान्त नायब तहसीलदासर इस प्रकरण से सबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेख्िता करने के उपरान्त अपीलान्ट की सजा को स्थगित रख सकेगा । परिणामतः अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार पूर्व निर्णय दिनांक 6.3.2012 की पालना में अपीलान्ट द्वारा कब्जा नहीं हटाया जाना एवं अधिनस्थ न्यायालय में कोई शपथ पेश करना प्रतीत नहीं होता है । चूंकि जेर अपील आदेश के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 6.3.2012 से निर्णय हो जाने से अब इस अपील में पृथक से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होने से पूर्व आदेश दिनांक 6.3.2012 अनुसार पालना सुनिश्चित करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रेकार्ड पालनार्थ नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी को लौटाया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो । 3/10/8/21 जिला कलेक्टर कोटा	